

क

आज्ञा पत्र

1-4-25

पत्रावली अस्तुत अभिभाषक संघ ने कानून
न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
अस्तुत अस्तुत दिनांक 19.5.25 को पेश हो।

19.5.25

पत्रावली पेश। अपील उच्च न्यायालय
काफी अलगाव दर्शा करे हेन। 10/11/25
23.6.25 को पेश हो।

23.6.25

पत्रावली पेश। अपीलाट/रस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने
जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश
के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण
में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो
चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण
न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह
अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील
अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय
सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल
दफतर हो।

सूचना अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लक्ष्मण सिंह

